न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 289/17 (RCMS No. 2017/00308 (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम मेईकलां तहत तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. काना पुत्र भैरूनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
1/1. मु0 रामकन्या पुत्री काना पत्नि मोती जाति नाथ निवासी ग्राम कुतलपुरा गुजरान उप तहसील बहरावण्डा कला जिला सवाई माधोपुर
1/2. मु. त्रिवेणी पुत्री काना पत्नि कस्तूरा जाति नाथ निवासी रामसिंहपुरा तहत तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. मु0 रामनाथी पुत्री भैरूनाथ पत्नि हरिनारायण जाति नाथ निवासी (ससुराल) कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. मु0 रामप्यारी पुत्री रामनाथ पत्नि माधोनाथ निवासी (ससुराल) ग्राम बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. मु0 रूकमणी पुत्री रामनाथ पत्नि रामजीलाल जाति नाथ निवासी (ससुराल) ग्राम पीपलदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. मु0 पंसुरी पुत्री किल्लो पत्नि श्योराम जाति नाथ निवासी (ससुराल) ग्राम बडौदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
6. ओमप्रकाश पुत्र रूगनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
7. मु0 राधा पुत्री रूगनाथ पत्नि श्रीलाल जाति नाथ निवासी (ससुराल) ग्राम नाईपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
8. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
9. ग्राम पंचायत मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर जरिये सरपंच

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर दिनांक 23.05.2008

2— अपील संख्याः— 288/17 (RCMS No. 2017/00307 (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

राधेश्याम पुत्र रामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम मेईकलां तहत तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

Web Copy - Not Official

बनाम

1. काना पुत्र भैरूनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
1/1. मु0 रामकन्या पुत्री काना पत्नि मोती जाति नाथ निवासी ग्राम कुतलपुरा गुजरान उप तहसील बहरावण्डा कला जिला सवाई माधोपुर
1/2. मु. त्रिवेणी पुत्री काना पत्नि कस्तूरा जाति नाथ निवासी रामसिंहपुरा तहत तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. मु0 रामनाथी पुत्री भैरूनाथ पत्नि हरिनारायण जाति नाथ निवासी (ससुराल) कुतलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. मु0 रामप्यारी पुत्री रामनाथ पत्नि माधोनाथ निवासी (ससुराल) ग्राम बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. मु0 रूकमणी पुत्री रामनाथ पत्नि रामजीलाल जाति नाथ निवासी (ससुराल) ग्राम पीपलदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. मु0 पंसुरी पुत्री किल्लो पत्नि श्योराम जाति नाथ निवासी (ससुराल) ग्राम बडौदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
6. ओमप्रकाश पुत्र रूगनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
7. मु0 राधा पुत्री रूगनाथ पत्नि श्रीलाल जाति नाथ निवासी (ससुराल) ग्राम नाईपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
8. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
9. ग्राम पंचायत मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर जरिये सरपंच

..... **रैस्पो0**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित नामा0 1654 ग्राम मेईकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर दिनांक 04.06.2008

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट

नि र्ण य **दिनांकः—27.03.2018**

उपरोक्त दोनों अपीलें भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 23.05.2008 एवं नामा0 सं0 1654 वॉके ग्राम मेईकलां तहसील खण्डार के निर्णय दिनांक 04.06.08 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में समान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पक्षकार, समान आराजी व समान विवादित बिन्दु होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में काना नाथ पुत्र भैरू नाथ ने ग्राम पंचायत मेईकला व राधेश्याम पुत्र रामनाथ के विरूद्ध अपील पेश की थी। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.99 से अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 256 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार खण्डार को पुनः जॉच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार ने उभय पक्षों को सुनकर यह माना कि विवादित आराजी ख0 नं0 75 रकवा 2.04, 76 रकवा 2.18 किता 2 रकवा 5.02 ग्राम मेईकला तहसील खण्डार भैरूलाल पुत्र बालकनाथ की खातेदारी की पैत्रिक आराजी है। मृतक भैरूनाथ के वारिसान काना पुत्र भैरू, रामनाथी पुत्री भैरूनाथ, राधेश्याम पुत्र रामनाथ, रामप्यारी व रूकमणी पुत्रियॉ रामनाथ, पंसूरी पुत्री किल्लो तथा ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ राधा पुत्री रघुनाथ को वारिस मानते हुऐ उनके पक्ष में नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 289/17 पेश की गई है। तहसीलदार के उक्त आदेश की पालना में नामा0 संख्या 1654 दिनांक 04.06.08 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध दूसरी अपील संख्या 288/17 पेश की गई है।

रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रैस्पो0 को बार बार आबाजें दिलाई गई। रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही आने से अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्धान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि तहसीलदार ने पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधर पर मृतक भैरूनाथ की विरासत का नामा0 अकेले अपीलान्ट ही खुलवाने का अधिकारी था। फिर भी अपीलान्ट को मृतक भैरूनाथ की विरासत का नामा0 सभी के नाम दर्ज कर दिया है। पक्षकारान के मध्य सहायक कलक्टर खण्डार के न्यायालय में उनवानी राधेश्याम बनाम काना का वाद सं0 73/01 चला था जो दिनांक 11.06.04 को खारिज हो गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में काना बनाम राधेश्याम अपील पेश की थी जो दिनांक 06.03.06 को खारिज की जा चुकी है। तहसीलदार ने उक्त निर्णयों पर कोई गौर नही किया। इसलिये तहसीलदार का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि रैस्पो0 सं0 2 लगायत 7 ने तहसीलदार के समक्ष राधेश्याम अपीलान्ट को ही भैरूनाथ की विरासत का नामा0 खुलवाने का अधिकार होना मानते हुऐ अपीलान्ट के पक्ष में सहमति दी थी। काना के पक्ष में नामा0 दर्ज नहीं करने की कहा था क्योंकि काना को वॅटवारे में जो भूमि मिली थी उसे वह पहले ही बेच चुका था। उक्त आराजी अपीलान्ट राधेश्याम के हिस्से में आयी थी। अपीलान्ट के पिता राजनाथ पुत्र भैरूनाथ का देहान्त भैरूनाथ की मौजूदगी में ही हो गया था। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। तहसीलदार के उक्त आदेश की पालना में दर्ज नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जावे तथा विरासत का नामा0 मृतक भैरू लाल के स्थान पर अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

हमने विद्धान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में काना नाथ पुत्र भेरू नाथ ने ग्राम पंचायत मेईकला व राधेश्याम पुत्र रामनाथ के विरूद्ध अपील पेश की थी। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.99 से अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 256 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार खण्डार को पुनः जॉच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार ने उभय पक्षों को सुनकर यह माना कि विवादित आराजी ख0 नं0 75 रकवा 2.04, 76 रकवा 2.18 किता 2 रकवा 5.02 ग्राम मेईकला तहसील खण्डार भैरूलाल पुत्र बालकनाथ की खातेदारी की पैत्रिक आराजी है। मृतक भैरूनाथ के वारिसान काना पुत्र भैरू, रामनाथी पुत्री भैरूनाथ, राधेश्याम पुत्र रामनाथ, रामप्यारी व रूकमणी पुत्रियॉ रामनाथ, पंसूरी पुत्री किल्लो तथा ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ राधा पुत्री रघुनाथ को वारिस मानते हुऐ उनके पक्ष में नामा0 दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 289/17 पेश की गई है। तहसीलदार के उक्त आदेश की पालना में नामा0 संख्या 1654 दिनांक 04.06.08 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध दूसरी अपील संख्या 288/17 पेश की गई है।

तहसीलदार ने सभी वारिसान के बयान लिये हैं। वयानों में विवादित आराजी को राधेश्याम पुत्र रामनाथ के नाम दर्ज कराने का निवेदन किया है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जिसमें सभी पक्षकारान का हित निहित है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जो मृतक भैरूनाथ की खातेदारी में दर्ज है। मृतक भैरूनाथ का काना भी एक पुत्र है। विवादित आराजी पैत्रिक होने से काना भी विवादित आराजी में अपना हक रखता है। उत्तराधिकार के आधार पर मृतक के सभी वारिसान का विवादित आराजी में हक होता है। तहसीलदार ने विरासत के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण सभी वारिसान के हक में दर्ज करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। तहसीलदार ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अन्य वारिसान अपने हिस्से की आराजी को राधेश्याम के नाम कराना चाहते है तो नियमानुसार रिलीज डीड कराकर अपना हक त्याग कर सकते हैं। तहसीलदार ने विरासत के आधार पर दर्ज नामा0 के अलावा अपने निर्णय में रिलीज डीड का भी उल्लेख किया है जो विधि सम्मत् आदेश है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। तहसीलदार का निर्णय दिनांक 23.05.18 यथावत रखा जाना उचित है।

जहॉ तक अपील सख्या 288/17 का प्रश्न है। उक्त अपील तहसीलदार के निर्णय दिनांक 23.05.08 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण के विरूद्ध है। न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय से तहसीलदार के निर्णय दिनांक 23.05.08 को यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय दिनांक 23.05.08 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1654 निर्णय दिनांक 04.06.08 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील संख्या 289/17 उनवानी राधेश्याम बनाम काना वगैरहा एवं अपील संख्या 288/17 उनवानी राधेश्याम बनाम काना वगैरहा खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय क्रमशः 23.05.08 एवं 04.06.08 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official